न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 257/2022 तारीख रजूः–20.10.2022

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. दाताराम पुत्र कमल	जाति सभी गुर्जर निवासी
2. गोपी पुत्र शंकर	खेडली गुर्जर, तह० सूरौठ
3. बादाम पुत्र शंकर	जिला करौली, (राज०)
4. राजाराम पुत्र रूपसिंह	
5. हरवीर पुत्र हरनारायण	

——————————सायलान

बनाम

1. गोंविद पुत्र भगवानसिंह	जाति सभी गुर्जर निवासी
2. रामवीर पुत्र भगवानसिंह	खेडली गुर्जर, पुरानी आबादी
3. गोपाल पुत्र भगवानसिंह	तहसील सूरौठ, जिला
4. हेमलता पत्नि गोपाल	करौली, (राज०)।
5. मिथलेश पत्नि रामवीर	

6. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली (राज०) (लैण्ड होल्डर) ————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :–15.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि सायलान के कब्जाकाश्त व स्वामित्व, स्वत्व एवं खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1129 रकवा 01 ऐयर, 1760

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकवा 01 ऐयर, 1771 रकवा 06 ऐयर, 1776 रकवा 05 ऐयर, 1761 रकवा 21 ऐयर, बांके ग्राम खेडली गुर्जर, तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 1760 रकवा 01 ऐयर का साबिक खसरा नम्बर 1084 रकवा 8 विस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 1771 का साबिक खसरा नम्बर 1094 है, हाल खसरा नम्बर 1776 रकवा 05 ऐयर का साबिक खसरा नम्बर 1082/3 रकवा 5 विस्वा हाल खसरा नम्बर 1761 रकवा 21 ऐयर का साबिक खसरा नम्बर 1082/1 मिन रकवा 10 विस्वा बांके ग्राम खेडली गुर्जर में स्थित है जो मुताबिक मिलान क्षेत्रफल व साबिक जमाबंदी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त आराजीयात की खातेदारी मुताबिक हाल जमाबंदी के सायलान व सायलान के परिवारजनों के नाम मुताबिक हिस्सा जमाबंदी के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर सायलान व सायलान के परिवार वालों का ही कब्जा काश्त है, गैरसायलान का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नं0 2 प्रार्थनापत्र में दर्ज भूमि सायलान की पैत्रिक भूमि है जो एक चक भूमि है जिस पर सायलान ही बजमाने बुजुर्गान के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में सायलान ने ही फसल काश्त की है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1084 रकवा 8 विस्वा का सेटिलमेंन्ट में नवीन खसरा नम्बर 1760 रकवा 01 ऐयर कायम कर शेष रकवा खसरा नम्बर 1761 में शामिल कर रकवा 21 ऐयर कायम किया गया क्योंकि मौके पर खसरा नम्बर 1761 का एकचक एक खेत खसरा नम्बर 1760 व 1761 का बना हुआ था जिसमें काश्त हेतु गैरमुम० चाह मौके पर था जिस पर सायलान का कब्जाकाश्त था जिसकी दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा श्रीमान न्यायालय हाजा में पेश कर रखा है जिसमें आगामी तारीख पेशी वास्ते जबाव नियत है और उक्त आराजी से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि सायलान सीधे–साधे लोग है जो झगडा फिसाद से डरते है जबकि गैरसायलान झगडालू प्रवृति के लोग है जो बाहर के ग्राम से आकर बसे है जिनका एक नाजायज गिरोह बना हुआ है जो आये दिन अवैध रूप से भूमियों पर अवैध कब्जा करने पर आमादा रहते है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि गैरसायलान सायलान के कब्जाकाश्त व खातेदारी की उक्त भूमि वर्णित मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र में बोयी फसल को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खुर्द–बुर्द करते रहते है, फसल को क्षति कारित करते है. कब्जाकाश्त में मजामहत, मदाखलत उत्पन्न करते रहते है, शांतिपूर्वक काश्त नही करने देते है अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करने पर आमादा रहते है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि दिनांक 15.10.2022 को समय करीब 11 बजे दिन के सायलान एकराय होकर हाथो में फावडा लाठी डंडा, कुल्हाडी लेकर सायलान की उक्त भूमि पर आ धमके और कहने लगे कि तुम यहाँ से भाग जाओ और इस भूमि पर हम कब्जा करेंगें और यहाँ पर कब्जा कर पक्का निर्माण करेंगे तब सायलान ने हाथ जोडकर निवेदन किया कि तुम्हारा इस भूमि से क्या लेना देना है, यह भूमि तो हमारी पुश्तैनी पैत्रिक भूमि है और तुमको इस पर हम क्यों कब्जा करने देंगें इस बात से गैरसायलान एकदम लाल ताते हो गये और सायलान के साथ झगडा करने पर आमादा हो गये हाय हल्ला सुनकर पडौसीयान खेत वाले व अन्य गाँव के लोग आ गये जिन्होने काफी समझाया परन्तु गैरसायलान किसी की भी एक मानने को तैयार नहीं हुये। बल्कि जाते समय ऐलानियां धमकी दीनी कि आज तो इन लोगो ने बचा लिया है, आयन्दा इन खेतो पर आये तो तुम्हारे हाथ पैरों को तोड देंगें और हम हर सूरत में इस भूमि पर कब्जा करके ही दम लेंगें पक्का निर्माण करके ही रहेंगे, शांतिपूर्वक फसल काश्त नहीं करने देंगें, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते है क्योंकि यहाँ पर हमारा बांसकोट चलता है हम किसी भी न्यायालय के आदेश को नही मानते है क्योंकि हमारी पुलिस व प्रशासन में अच्छी पूछ है, इस तरह से गैरसायलान अपने नापाक इरादे में सफल हो गये तो सायलान को काफी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से होना संभव नहीं है इस कारण सायलान द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमानजी के यहाँ पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केश, अपूर्तणीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का संतूलन बखूबी सायलान के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलान के कब्जाकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 1129 रकवा 01 ऐयर, 1760 रकवा 01 ऐयर, 1771 रकवा 06 ऐयर, 1776 रकवा 05 ऐयर, 1761 रकवा 21 ऐयर, बांके ग्राम खेडली गुर्जर, तहसील सूरौठ जिला करौली में सायलान के कब्जाकाश्त में मजामहत, मदाखलत उत्पन्न नही करे, तथा पक्का निर्माण कार्य न करें, तथा सायलान के रास्ते में सूल बबूल न पटकें, उसे शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके से बेदखल नही करे, ऐसा कोई कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे सायलान के हक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हकूको पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडे। रहन व्यय नही करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.07.2025 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2077–73 पेश की है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील सूरौठ की खातेदारी सायल हरवीर पुत्र हरनारायण हि0 5/28 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदार दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1129 रकबा 0.01 है0, 1760 रकबा 0.01 है0, 1771 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील सूरौठ की खातेदारी सायल हरवीर पुत्र हरनारायण हि0 1/48, सायल सं02 व 3 बहिस्सा बराबर हि0 2/27, सायल राजाराम के पिता रूपसिंह पुत्र पहलाद हि0 हि0 1/9, जाति गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदार दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1761 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील सूरौठ की खातेदारी जिम्मन नं01 सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.05 है0, 1129 रकबा 0.01 है0, 1760 रकबा 0.01 है0, 1771 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील सूरौठ में सायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। जिससे

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान का कोई सम्बन्ध या बास्ता किसी प्रकार का होना राजस्व रिकार्ड से साबित नहीं होता है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1761 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील सूरौठ की खातेदारी जिम्मन नं01 सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड हैं। सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.05 है0, 1129 रकबा 0.01 है0, 1760 रकबा 0.01 है0, 1771 रकबा 0.06 है0, 1761 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील सूरौठ के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.1.26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)